# सोनभद्र पुलिस

## प्रेस विज्ञप्ति

**दिनांक- 14.09.2026**

- **"ऑपरेशन शुद्धि" के तहत थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त कार्रवाई**
- **अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह से जुड़े 02 तस्कर गिरफ्तार**
- **ओडिशा से दिल्ली ले जाया जा रहा 220 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद, अनुमानित कीमत लगभग ₹1.10 करोड़**
- **तस्करी में प्रयुक्त EICHER PRO 1075 वाहन(06 पहिया), अनुमानित कीमत ₹10 लाख, 02 मोबाइल फोन एवं ₹4,000 नकद बरामद**
- **गांजा छिपाने के लिए वाहन में बनाया गया था विशेष गुप्त केबिन**
- **कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग ₹1.20 करोड़**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में **"ऑपरेशन शुद्धि"** के तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर मिश्र** के कुशल पर्यवेक्षण में **थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एसओजी टीम** को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह से जुड़े **02 अभियुक्तों को गिरफ्तार** करते हुए उनके कब्जे से 220 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1.10 करोड़, तस्करी में प्रयुक्त EICHER PRO 1075 वाहन संख्या DL 1LY6546, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹10 लाख, 02 मोबाइल फोन एवं ₹4,000 नकद बरामद किए गए हैं। कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग ₹1.20 करोड़ है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण व कृत कार्यवाही-**

दिनांक 13.09.2026 को **थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी टीम** द्वारा होटल डीआर ड्रीम, सनबीम स्कूल मोड़ तिराहा, ग्राम गेंगुआर के पास संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि **हिन्दुआरी तिराहा से कुछ पहले पुल के पास** एक 06 पहिया EICHER वाहन खड़ा है, जिसमें दो संदिग्ध व्यक्ति मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर वाहन में बैठे दोनों व्यक्तियों ने वाहन से कूदकर भागने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा **समय करीब 20:40 बजे पुल की रेलिंग के पास** सड़क किनारे पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान बिरेस पुत्र होराम, निवासी ग्राम अद्दरमई, थाना ओसांवा, जनपद बदायूं, उम्र करीब 45 वर्ष तथा गोविन्द पुत्र सुरेन्द्र, निवासी ग्राम मियारी, पोस्ट अभिबाँव, थाना ओसांवा, जनपद बदायूं, उम्र करीब 25 वर्ष के रूप में हुई।

पुलिस टीम द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के **मालवाहक हिस्से के अग्रिम भाग में लोहे की चादरों को वेल्डिंग कर विशेष रूप से बनाया गया गुप्त केबिन** मिला। जिसमें **07 बोरों में** कुल 220 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर **थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0 763/2026, धारा 8/20/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट** के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में प्रकाश में आया कि वे **दिल्ली के कुछ लोगों के संपर्क** में रहकर उसके लिए गांजा लाने का कार्य करते हैं। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिल्ली के रहने वाले ही गांजा खरीदने के लिए पैसा उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें से उक्त धनराशि लेकर वे **ओडिशा के सुंदरगढ़/कालाहांडी क्षेत्र** में गए थे। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वहां उनकी मुलाकात एक व्यक्ति निवासी जनपद कालाहांडी, ओडिशा से हुई, जिसके माध्यम से गांजा वाहन में लोड कराया गया। गांजा को वाहन में बनाए गए **विशेष गुप्त केबिन में छिपाकर ओडिशा से सोनभद्र होते हुए दिल्ली** ले जाया जा रहा था।

अभियुक्तों के अनुसार बरामद गांजा दिल्ली में दिया जाना था। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि तस्करी से जुड़े व्यक्ति आपस में **मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क** में रहते हैं। पूछताछ में प्रकाश में आए व्यक्तियों की भूमिका एवं ओडिशा से सोनभद्र होते हुए दिल्ली तक संचालित अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। बरामद मोबाइल फोन एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. **बिरेस पुत्र होराम**, निवासी ग्राम अद्दरमई, थाना ओसांवा, जनपद बदायूं उम्र करीब 45 वर्ष।
2. **गोविन्द पुत्र सुरेन्द्र**, निवासी ग्राम मियारी, पोस्ट अभिबाँव, थाना ओसांवा, जनपद बदायूं उम्र करीब 25 वर्ष।

## बरामदगी का विवरण—

- **220 किलोग्राम अवैध गांजा** – अनुमानित कीमत **लगभग ₹1.10 करोड़।**
- EICHER PRO 1075 वाहन संख्या DL 1LY6546(06 पहिया) – अनुमानित कीमत **लगभग ₹10 लाख।**
- 02 मोबाइल फोन।
- ₹4,000 नकद।
- कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत **लगभग ₹1.20 करोड़।**

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
2. श्री राम स्वरूप वर्मा, प्रभारी निरीक्षक, एसओजी।
3. उ0नि0 श्री विनय कुमार सिंह, चौकी प्रभारी हिन्दुआरी जनपद सोनभद्र।
4. उ0नि0 श्री विष्णु प्रभा सिंह, चौकी प्रभारी सुकृत जनपद सोनभद्र।
5. उ0नि0 श्री धर्मनारायण भार्गव, चौकी प्रभारी चुर्क जनपद सोनभद्र।
6. हे0का0 संजीव राय, हे0का0 संदीप यादव थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
7. हे0का0 अमरजीत यादव, का0 रामसिंह, चौकी चुर्क थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
8. हे0का0 भरत यादव, चौकी सुकृत थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
9. का0 रूपेश कुमार, का0 जय किशन पाण्डेय थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
10. हे0का0 रितेश पटेल, हे0का0 मनीष कुमार सिंह, का0 सत्यम पाण्डेय, का0 जय प्रकाश सरोज, का0 अजीत यादव, एसओजी।